प्रेस नोट थाना खजनी जनपद गोरखपुर दिनांक 31.12.2025

फिरौती हेतु अपहरण कर हत्या का अपराध कारित करने वाले 02 शातिर अपराधियों के विरूध्द गैंगस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी खजनी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक खजनी द्वारा गैंग लीडर अनिकेत यादव पुत्र चन्द्रशेखर यादव निवासी बनकटिया थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया व गैंग का 01 अन्य सदस्य किशन यादव पुत्र रामप्रसाद यादव निवासी रधिया थाना हाटा जनपद कुशीनगर के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी। उक्त गैंग का लीडर अनिकेत यादव उपरोक्त अपने गिरोह के सदस्य के साथ मिलकर फिरौती/हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित करता है। गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्य का सामान्यतः जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर गैंग लीडर अनिकेत यादव व गैंग का सदस्य किशन यादव के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 502/2025 धारा 2(ख)(i)(xi)/ 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तों का नाम, पता व आपराधिक इतिहास-

1. अनिकेत यादव पुत्र चन्द्रशेखर यादव निवासी बनकटिया थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया

i. मु0अ0सं0 99/2025 धारा 140(2),103(1),238 बीएनएस थाना खजनी जनपद गोरखपुर
ii. मु0अ0सं0 151/2022 धारा 279,337,338 भादवि थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया

2. किशन यादव पुत्र रामप्रसाद यादव निवासी रधिया थाना हाटा जनपद कुशीनगर

i. मु0अ0सं0 99/2025 धारा 140(2) 103(1),238 बीएनएस थाना खजनी जनपद गोरखपुर
ii. मु0अ0सं0 510/2024 धारा 323,354(ख) भादवि थाना हाटा जनपद कुशीनगर